समाहरणालय, कोडरमा

(भू–अर्जन शाखा)

पत्रांकः 263 / रा0 दिनांक– 12.02.2018

सामाजिक समाघात निर्धारण लोक सुनवाई की अधिसूचना

देखें नियम–7 का उप नियम (1)

भूमि–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा–4 के प्रावधानों के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2039 / रा0 दिनांक 13 / 12 / 2017 के द्वारा डोमचाँच पिपचो पथ चौड़ीकरण हेतु कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल डोमचाँच के मौजा–बगड़ो एवं काराखूट, अंचल कोडरमा मौजा–बुच्चीटांड का SIA के लिए Social Action For Rural Development (SARDA), SARDA Bhawan, Chhotki Murram, Ramgarh Cantt, Dist- Ramgarh (JH) के पत्रांक संख्या शून्य दिनांक 16 / 01 / 2018 द्वारा उक्त परियोजना के SIA का प्रारूप प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। एतद् द्वारा डोमचाँच पिपचो पथ चौड़ीकरण हेतु कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल डोमचाँच के मौजा–बगड़ो, काराखूट एवं अंचल कोडरमा के मौजा–बुच्चीटांड, भूमि–6.3625 एकड़ का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रतिवेदन के आलोक में अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन प्रत्येक मौजा में लोक सुनवाई करने की स्वीकृति दी जाती है एवं लोक सुनवाई दल का गठन करते हुए अधिसूचना निर्गत की जाती है।

(लोक सुनवाई दल का गठन)

(1). अध्यक्ष – अपर समाहर्त्ता, कोडरमा
(2). सदस्य – जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा
(3). कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, कोडरमा।
(4). अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा। (5) अंचल अधिकारी, डोमचाँच एवं कोडरमा (6) मौजा–बगड़ो, काराखूट एवं बुच्चीटांड़ के मुखिया एवं संबंधित क्षेत्र के वार्ड सदस्य।

मौजावार लोक सुनवाई की तिथि निम्न निर्धारित की गई हैः–

क्र0	ग्राम / मौजा	थाना सं0	पंचायत	थाना	अंचल का नाम	अधियाचित रकवा	लोक सुनवाई की तिथि एवं समय
1	बगड़ो	310	बगड़ो	डोमचाँच	डोमचाँच	1.86	24.02.2018 (11:00AM)
2	काराखूट	353	तेतरियाडीह	डोमचाँच	डोमचाँच	0.89	24.02.2018 (2:00PM)
3	बुच्चीटांड़	311	बुच्चीटांड़	कोडरमा	कोडरमा	3.6125	27.02.2018 (1:00PM)
					कुल :–	**6.3625**	

लोक सुनवाई के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप :–

1. परामर्श लेना एवं लोक सुनवाई की विडियो रिकॉडिंग कराना, जनसभा में जुटायी गई सूचनाओं का विश्लेषण करना, प्राप्त सभी आपत्तियों को प्रतिवेदन में सम्मिलित कराना एवं यथा स्थिति सरकार को प्रस्तुत करना। (अधिनियम की प्रपत्र 3 एवं 4 के अनुसार)
2. लोक सुनवाई की प्रक्रिया इस अधिसूचना के निर्गत तिथि से दो माह के अन्दर पूर्ण कर ली जाय एवं अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के बाद लोक सुनवाई की जाय। लोक सुनवाई की तिथि उपर्युक्त कॉलम में दर्ज है। SIA का प्राप्त प्रतिवेदन हिन्दी भाषा में यथा स्थिति हार्ड कॉपी में सभी सदस्य को उपलब्ध करायी जाय। इसकी प्रति संबंधित ग्राम पंचायत, प्रखण्ड / अंचल कार्यालय, डोमचाँच एवं कोडरमा, अनुमण्डल कार्यालय, कोडरमा जिला भू–अर्जन कार्यालय, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के कार्यालय में उपलब्ध होंगे तथा जिले के वेबसाईट **www.koderma.nic.in** में भी देखा जा सकता है।

ह0 /
उपायुक्त,
कोडरमा।